

6331/2013





सत्यमेव जयते

# INDIA NON JUDICIAL Government of Uttarakhand

## e-Stamp

Certificate No.	: IN-UK00261483574996L
Certificate Issued Date	: 26-Nov-2013 10:27 AM
Account Reference	: NONACC (BK)/ uknntbk02/ SITARGANJ/ UK-UN
Unique Doc. Reference	: SUBIN-UKUKNNTBK0200378394700544L
Purchased by	: DR SUSHILA TIWARI GRAMIN BALIKA UTHAN SAMITI
Description of Document	: Article 23 Conveyance
Property Description	: SITARGANJ
Consideration Price (Rs.)	: 28,77,000 (Twenty Eight Lakh Seventy Seven Thousand only)
First Party	: ATAUUREHMAN
Second Party	: DR SUSHILA TIWARI GRAMIN BALIKA UTHAN SAMITI
Stamp Duty Paid By	: DR SUSHILA TIWARI GRAMIN BALIKA UTHAN SAMITI
Stamp Duty Amount(Rs.)	: 1,44,000 (One Lakh Forty Four Thousand only)



Please write or type below this line



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

0001375754

### Statutory Alert:


1. The authenticity of this Stamp Certificate should be verified at "www.shcliestamp.com". Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.



विक्रय - पत्र कृषक

बैनामा 28,66,000/-  
 वा. मू. 28,66,000/-  
 स्वाम्य 9,88,000/-


यह कि मैं प्रथम पक्ष विक्रता  
अताउर्रहमान उम्र बीसग (पुत्र श्री फजुउर्रहमान  
 निवासी खेड़ी बिकीपुर तहसील रुड़की जिला  
 हरिद्वार, का हूँ यह कि मुझ मुक्ति  
 ने इस बैनामा के द्वारा अपनी की 9  
 क भूमिधारी का जमीन ग्राम खिलाशगंज तहसील  
खिलाशगंज जिला ऊधम सिंह नगर के खाता  
नम्बर 6 के खंखरा नम्बर 288/2 एकड़  
0.8860 हेक्टर जमीन को मुबालिग 28,66,000/-  
अठारस लाख सतहत्तर हजार रुपये में बदस्त  
श्री डा० सुशीला निवारी गांधीवा बीलिका उर्रहमान समिति  
बलुवामार आजमगढ़ रजि. नं. 556 सन 2002 जरिये जहपक्ष  
श्री अमजद खान प्रबन्धक श्री शम्भूनाथ सिंह शक्तिफार्मे  
खिलाशगंज जिला ऊधम सिंह नगर को बंध करदिप

 अमजद खान

21/07/2014



में घान विक्रय कर दिया है। कुल  
 कीमत बेहतर प्राप्त कर ली है, कुल कीमत  
 पाकर विक्रित जमीन में क्रेता का रुका  
 करा दिया है, क्रेता विक्रित आशजी का  
 दाव खार उपन दक में कग ले कर  
 दिया जाये विक्रित जमीन हर तरह से  
 बरी पाक साफ है, कही रुहन वप  
 बन्धक नही है, शासन के पत्र संख्या  
 1097/XVIII (II) / 2013-01 (56) / 2011 दिनांक  
 31-5-2013 द्वारा धारा 154(4) (3) (क) (III) के  
 अन्वये उच्च शिक्षा विभाग उत्तराखण्ड शासन  
 के अभिमत डा० सुशीला तिवारी गुर्मीण  
 डोलिका उत्थान समिति को शैक्षणिक  
 प्रयोजन हेतु 31 मई 2013 को अनुमति  
 हासिल है, उसल विक्रित जमीन पर  
 मुक्त है, समस्त विवरण एलान कार में दर्ज है


 21/2/14



**विक्रय पत्र (कृषिक)**

बैनामा २८७६०००, वा0मू0 २८७६०००, स्टाम्प १४४०००/ कुल योग १४४०००/

यह कि मैंने/हम प्रथम पक्ष विक्रेता अताउर्रहमान उम्र बोलिंग पुत्र श्री फजुउर्रहमान  
निवासी खेडी शिकोपुर तहसील रुड़की जिला हरिद्वार

यह कि मैंने/हम नीचे लिखे प्लॉट का मालिक व काबिज हूँ। मुझको/हमको इस कृषि भूमि को बेचने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। यह इस समय सब प्रकार के/बै रहन भार से मुक्त है। मेरे/हमारे अतिरिक्त इस कृषि भूमि का कोई अन्य स्वामी नहीं है। इस कृषि भूमि में मेरा/हमारा कोई सौंझीदार नहीं है। यह कि मैंने/हमने स्वस्थ मन एवं चित्त से और स्वेच्छा से निम्नलिखित कृषि भूमि जो संक्रमणीय अधिकार वाली है, को मुबलिंग २८७६०००/ अताउर्रहमान खास सतहत्तर हजार रूपि जिसके आधे १४३८०००/ चौदह लाख अतीस हजार पांच सौ रूपि होते हैं, के बदले में श्री डा० सुशीला तिवारी गणेश बोलिका उद्यान समिति रतुवापार आमजगद रमि. नं० ५५७ सं० २००२ई, जिरिये अध्यक्ष श्री आमजद खान प्रबन्धक श्री शम्भु नाथ सिंह, शमितफ्राम सितारगजं के हाथ बेच दिया है।

1. यह कि मैंने/हमने समस्त विक्रय धन क्रेता से पैसतर हो प्राप्त किया हुआ है, जब कुछ पाना बाकि नही रहा।

यह कि मैंने/हमने विक्रय अपने समस्त अधिकार स्वत्व और हित का तथा बिना विषय सुरक्षित रखे हुए किया है और समस्त कब्जा हस्तान्तरित कर दिया है। अब मेरा/हमारा या मेरे/हमारे उत्तराधिकारियों का नीचे लिखी कृषि भूमि में कोई अधिकार नहीं रह गया है। यह कि भविष्य में क्रेता अपना अधिकार विक्रेतागण के अधिकार और स्वत्व में किसी दोष के कारण नीचे लिखी कृषि भूमि पर कर न पावे तो विक्रय धन मय हर्जा व खर्चा सहित लौटाने तथा उनको समस्त कानूनी जिम्मेदारी मुझ/हम विक्रेता पर होगी। मुझको/हमको व मेरे/हमारे बारीसान कायम मुकामान का कोई उज्र व ऐतराज न होगा तथा क्रेता अपने नाम वाखिल खारिज करा ले/कर दिया जाये, हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। यह लेखपत्र लिपिबद्ध कर दिया, जिससे कि प्रमाण रहे। स्टाम्प पत्र कीमती रु० १४४०००/ जो ५ पन्नों का नथी है। विकरण विक्रीत भूमि स्थित ग्राम सितारगजं तहसील सितारगजं जिला उधमसिंह नगर में तफसील सम्पत्ति है।

के खाता नम्बर ६ के खसरा नम्बर २८८/२ रकबा ०.४६६० हेक्टर जमीन जिसकी सीमा पूर्व में शस्ता कच्चा व लुन्ही सिंह एवं सोमवती का जमीन पश्चिम में रफाकिन आदि की जमीन, उत्तर में शकोल अहमद की जमीन दक्षिण में क्रेता का डिग्री कॉलेज है। क्रेता जमीन के शिक्षण संस्था के कर्ष के बस्ति रूप कर रहे है।  
नोट:- मैनामा के चूठ ३ में जा.नं. ११ में उल्लिखित शब्द में मसकूकी है क.नं. तथा फार्म में डिग्री कॉलेज शब्द में मसकूकी है क.नं. उक्त जमीन क्रेता के डिग्री कॉलेज से लगी हुई है।

1. विक्रीत कृषि भूमि सिंचित है तथा सिंचाई तहसील से होती है।
2. विक्रीत कृषि भूमि दे फसली है तथा लगान १२-५५ रु० वार्षिक है।
3. विक्रीत कृषि भूमि नगरिय क्षेत्र में पड़ती है, जिसका जिले के कलक्टर द्वारा नियत न्यूनतम मूल्य ५८ लाख रु० प्रति हेक्टेयर है।
4. विक्रीत कृषि भूमि में कोई पेड़ बोरिंग निर्माण नहीं है।
5. विक्रीत कृषि भूमि जो लुन्ही सिंहा रोड ३.०' फीट चौड़ी से लगभग २०० मी. दूरी पर स्थित है तथा राष्ट्रीय राजमार्ग/प्रान्तीय मार्ग/जनपदीय मार्ग पर स्थित नहीं है।
6. विक्रीत कृषि भूमि का पूर्व में बिक्री का कोई अनुबन्ध नहीं हुआ है/हूआ है।
7. विक्रेता अनुसूचित जाति/जनजाति का नहीं है।
8. विक्रीत भूमि/कृषि/औद्योगिक प्रयोजन की है तथा धार्मिक संस्थान, ट्रस्ट, चर्च, कब्रिस्तान, वक्फ, शत्रु सम्पत्ति नहीं है।
9. विक्रीत कृषि भूमि निकटतम तहसील से लगभग १ कि.मी. दूरी पर स्थित है।
10. विक्रीत कृषि भूमि नगर पालिका/नगर पंचायत सीमा से शिकोपुर दूरी पर स्थित है।
11. उत्तराखण्ड अधिनियम २९ वर्ष २००३ का उल्लंघन नहीं किया गया है अगर किसी स्तर पर इस अधिनियम का उल्लंघन पाया जाता है तो इसके सम्पूर्ण जिम्मेदार क्रेता व विक्रेता होंगे।
12. विक्रेता/क्रेता को उत्तराखण्ड अधिनियम २९ वर्ष २००३ के अनुसार इस भूमि को क्रय करने का अधिकार प्राप्त है।
13. विक्रेता तथा क्रेता भारतीय नागरिक हैं तथा एक-दूसरे के पते तथा पहचान की पुष्टि कर ली है।
14. मुख्तारकर्ता जीवित है तथा मुख्तारनामा आज की तिथि तक वैध तथा विद्यमान है और इसे खण्डित नहीं किया गया है। जमीन नगरपालिका के अन्दर है। उन्वगण्ड अ.आध. २६ वर्ष २००३ लागू नहीं होता है,

ह० विक्रेता [Signature] ह० क्रेता [Signature]

1. ह० साक्षी अजय कुमार पुत्र श्री हरिहर सिंह निवासी शमितफ्राम तहसील सितारगजं जिला हरिद्वार  
मुमुय गुमास्त I.D.No- ५०/०४/०१५/२६५/५१ है कि.के. १५-२६वीं भा.से दि. ०१/०५/९५ को जारी है।

2. ह० साक्षी अब्दुल जब्बार पुत्र श्री फतेह मोहम्मद निवासी गम लोई जिला बुजफूरनगर उ०३०  
I.D.No- ५०/०३/५०५/५५५३३३ है निम्नलिखित दि. ०१-५-२०१३ को जारी है।

आज दिनांक २६-११-२०१२ को व इकरार मुकिर/मुकिरान द्वारा लिपिबद्ध किया गया।

व कितावत इरन सिंह फत्तलि


पुरन सिंह प्रधान  
बुजफूरनगर  
सितारगजं ता. नं० १०




# रजिस्ट्रेशन अधिनियम-1908 की धारा 32-ए के अनुपालन हेतु फिंगर्स प्रिंट्स


प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता/क्रेता का नाम व पता :- आजा उर्रहमान पुत्र श्री जगज्जुरहमान  
खेडी सिंको पुर तह कडली जिला हरिद्वार  
पिन नं० AMJPK-7808L ई

बायें हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :-




दायें हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :-




  
विक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर


विक्रेता/क्रेता का नाम व पता :- डा. सुशीला तिवारी आदिवा बालिका उपायन  
सहित सुनवार आलमगढ़ डी.डी. अध्याय आलमगढ़ रौन पुत्र  
आलमगढ़ जिला हरिद्वार, सिति का पिन नं० 111812 4076 G

बायें हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :-



दायें हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :-



  
विक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर



दया




# रजिस्ट्रेशन अधिनियम-1908 की धारा 32-ए के अनुपालन हेतु फिंगर्स प्रिंट्स

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता/क्रेता का नाम व पता :- डा. सुशीला तिवारी प्रागिणी, बालिका


उत्पान सभिति रतवा फा आजम गड डा.प. पुनचक सी

शाम् नव सिह पुन सी वे शाराज सिह सभिति का पे.न.

बायें हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :- AABTD 40766 - पहिमान फा.स. UP/45/213/060395  
रतवा फा.स. 213 अततलिफा 1-5-95




दायें हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :-




शाम् नव / 15  
विक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर

विक्रेता/क्रेता का नाम व पता :-

बायें हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :-



दायें हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :-



विक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर



**विक्रय पत्र (कृषिक)**

बैनामा ..... वा०मू० ..... स्टाम्प ..... आ०वि० शुल्क ..... कुल योग .....

यह कि मैं/हम .....

यह कि मैंने/हम नीचे लिखे प्लॉट का मालिक व काबिज हूँ। मुझको/हमको इस कृषि भूमि को बेचने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। यह इस समय सब प्रकार के/बै रहन भार से मुक्त है। मेरे/हमारे अतिरिक्त इस कृषि भूमि का कोई अन्य स्वामी नहीं है। इस कृषि भूमि में मेरा/हमारा कोई साँझीदार नहीं है। यह कि मैं/हमने स्वस्थ मन एवं चित्त से और स्वेच्छा से निम्नलिखित कृषि भूमि जो संक्रमणीय अधिकार वाली है, को मुबलिग 2.96000 तीन लाख पाँच हजार

जिसके आधे 91.260000 शब्दों में एक लाख होते हैं, के बदले में श्री डॉ० सुशीला तिषरी सुशीला कालिका के हाथ बेच दिया है।

यह कि मैं/हमने समस्त विक्रय धन क्रेता से रमेश केशव रजिस्ट्री जीएन एन रजिस्ट्रार महाराष्ट्र के पाकूमों आमद कुल कीमत पाँड

यह कि मैंने/हमने विक्रय अपने समस्त अधिकार स्वत्व और हित का तथा बिना विषय सुरक्षित रखे हुए किया है और समस्त कब्जा हस्तान्तरित कर दिया है। अब मेरा/हमारा या मेरे/हमारे उत्तराधिकारियों का नीचे लिखी कृषि भूमि में कोई अधिकार नहीं रह गया है। यह कि भविष्य में क्रेता अपना अधिकार विक्रेतागण के अधिकार और स्वत्व में किसी दोष के कारण नीचे लिखी कृषि भूमि पर कर न पावे तो विक्रय धन मय हर्जा व खर्चा सहित लौटाने तथा उनको समस्त कानूनी जिम्मेदारी मुझ/हम विक्रेता पर होगी। मुझको/हमको व मेरे/हमारे बारीसान कायम मुकामान का कोई उज्र व ऐतराज न होगा। यह विक्रय पत्र लिपिबद्ध कर दिया जिससे कि प्रमाण रहे। स्टाम्प पत्र कीमती 1.9.800 रूपया 29 पन्नों का नथी है। विवरण प्लॉट स्थित शुद्ध मितारान्ग पञ्जाब किलपुरी तहसील सिलासाल जिला ऊधम सिंह नगर में तफसील सम्पत्ति है।

200/9 रफक 0.18 रिड डिक्टर जमीन जिसकी सीमा रही है जमीनी विन्दर सिट की जमीन पश्चिम में मुफताज अहमद की द्वारा क्रेता की रानीदी जमीन व जमीनी अहमद की जमीन उत्तर में सकील आदि की जमीन दक्षिण में विशाल उदीन की जमीन है, मूल दस्तावेज की पति 18 की लापन वही 18 तक, व पति 18 की लापन व से 2 तक व पति 18 की लापन व से 3 तक व पति 20 की लापन व से 2 तक व पति 29 की लापन व से 2 तक परी जाती गयी है, जमीन सिक्का का देवाने का भी है,

1. विक्रीत कृषि भूमि सिंचित है तथा सिंचाई नहर से होती है।
2. विक्रीत कृषि भूमि 2 फसली है तथा लगान 40-40 रु० वार्षिक है।
3. विक्रीत कृषि भूमि नारी क्षेत्र के क्षेत्र में पड़ती है, जिसका जिले के कलक्टर द्वारा नियत न्यूनतम मूल्य 22.5 रु० प्रति हैक्टेयर है।
4. विक्रीत कृषि भूमि में कोई पेड़ बोरेिंग निर्माण नहीं है।
5. विक्रीत कृषि भूमि जो नकलियर रोड 30 फीट चौड़ी से लगभग 9.25 की दूरी पर स्थित है। करीबन
6. विक्रीत कृषि भूमि का पूर्व में विक्री का कोई अनुबन्ध नहीं हुआ है/हुआ है।
7. विक्रेता अनुसूचित जाति/जनजाति का नहीं है।
8. विक्रीत भूमि/कृषि/औद्योगिक प्रयोजन की है।
9. विक्रीत कृषि भूमि निकटतम तहसील से लगभग 9 कि०मी० दूरी पर स्थित है।
10. विक्रीत कृषि भूमि नगर पालिका/नगर पंचायत सीमा से अनुरूप दूरी पर स्थित है।
11. उत्तरांचल अधिनियम 29 वर्ष 2003 का उल्लंघन नहीं किया गया है अगर किसी स्तर पर इस अधिनियम का उल्लंघन पाया जाता है तो इसके सम्पूर्ण जिम्मेदार क्रेता व विक्रेता होंगे।
12. विक्रेता/क्रेता को उत्तरांचल अधिनियम 29 वर्ष 2003 के अनुसार इस भूमि को क्रय करने का अधिकार प्राप्त है जिसका प्रमाण पत्र रही 24 दि 21/10/05 को जारी किया गया। जमीन नगर सीमा के अन्दर

ह० विक्रेता/नि०अ० डॉ० सुशीला तिषरी सुशीला कालिका 2003 इन्हें लागू नहीं होता है क्रेता जमीन को कूल सिटका के नाम से क्रेता को पिरे है


ह० साक्षी डॉ० सुशीला तिषरी सुशीला कालिका मकान न डिवादान

ह० साक्षी महेश्वर अहमद मुज की अनवर अहमद गाम लोई तहसील कुड्डाना जिले मुफताज नगर

आज दिनांक 21/10/05 को व इकरार मुकिर/मुकिरान व कितावत मिहान अली द्वारा लिपिबद्ध किया गया।

श्री 31-3-2007 तक है







प्रलेख सं 6.331 बही 1

विक्रय पत्र(अचल सम्पत्ती)	प्रतिफल रु0	मालियत रु0
	2,877,000.00	2,877,000.00
विक्रय पत्र		
रजिस्ट्रेशन शुल्क	प्रतिलिपि शुल्क	इलेक्ट्रानिक प्रोसेसिंग शुल्क
10,000.00	10.00	120.00
	कुल योग	शब्द लगभग
	10,130.00	1000

श्री / श्रीमती / कुमारी अमजद खान  
पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री अमजद फतेह मुहम्मद खान  
पेशा खेती  
निवासी अध्यक्ष डा.सुशीला तिवारी ग्रामीण बालिका उत्थान समिति  
ने आज दिनांक 26/11/2013 समय 3:57 pm  
को कार्यालय उपनिबन्धक सितारगंज  
मे प्रस्तुत किया



अमजद खान

*Amjad*  
26/11/2013

*Amjad*


उपनिबन्धक सितारगंज

26/11/2013

तहरीर व तकमील दस्तावेज से व वसूलयावी प्रलेखानुसार  
2,877,000.00 रु नकद / पूर्व पास कर श्री / श्रीमती  
अताउर्रहमान s/o फजुउर्रहमान, खेडी शिकोपुर तह.रूडकी जि.हरिद्वार/

ने निष्पादन स्वीकार किया । इस लेखपत्र का निष्पादन क्रेता श्री  
अमजद खान s/o अमजद फतेह मुहम्मद खान, अध्यक्ष डा.सुशीला तिवारी ग्रामीण बालिका उत्थान समिति सितारगंज /  
शम्भू नाथ सिंह s/o वंशराज सिंह, प्रबन्धक डा.सुशीला तिवारी ग्रामीण बालिका उत्थान समिति सितारगंज /

ने भी स्वीकार किया । जिनकी पहचान  
श्री अजय कुमार  
पुत्र श्री हरिहर सिंह  
पेशा खेती  
निवासी शक्तिफार्म तह.सितारगंज  
व श्री अब्दुल जब्बार  
पुत्र श्री फतेह मोहम्मद  
पेशा खेती  
निवासी लोई जि.मुजफ्फरनगर, उ.प्र.  
ने की।



*Amjad*  
26/11/2013


उपनिबन्धक सितारगंज  
26/11/2013



Book No. 1

Registration Year 2013

Registration No 6,331



*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

अताउररहमान

अमजद खान


शम्भू नाथ सिंह  
डा.पं. हा.क.

अजय कुमार



*Handwritten signature*

अब्दुल जब्बार




उपरोक्त साक्षीगण भद्र प्रतीत होते हैं । सभी के अंगुष्ठ चिन्ह नियमानुसार लिये गये हैं ।


*Handwritten signature*

उपनिबन्धक सितारगंज  
26/11/2013













आज दिनांक 26-Nov-2013 3:57 pm को  
के पृष्ठ 289 से 300 में नम्बर 6,331

बही न0 1 इलेक्ट्रोस्टेट जिल्द न0 644  
पर रजिस्ट्रीकत किया गया।

  
26/11/2013  
उप निबन्धक सितारगज  
26-11-2013





बाज दिनांक 06/07/05 को फोटोस्टेट प्रति  
पुस्तक संख्या 1 के खण्ड 263 में पृष्ठ 375-418  
में क्रमांक 2127 पर रजिस्ट्रीकरण किया गया।

सब रजिस्ट्रार गिनासंग

